कार्यालय नगर परिषद बागली जिला देवास म.प्र.

क्रमांकः– 765/स्था/दिव्या. भ./2024 दिनांक :–05/08/2024

विज्ञापन

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन दिनांक– 21.08.2024को सायं 5.00 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिशः नगर परिषद बागली जिला देवास कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिललिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	सफाई संरक्षक (सविंदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000/–या वर्तमान कलेक्टर दर जो भी अधिक हो।	–	01	–	–	05 वी कक्षा उत्तीर्ण

मुख्य शर्तें :–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
3. आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।
5. प्राप्त आवेदनों की जॉच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यार्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षरता के लिये आमंत्रित किया जावेगा। उक्त की सूचना आवेदक की मेल आईडी पर दी जावेगी।
6. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये ।
8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की वेबसाइट,(npbagli.in) कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/संभागीय कार्यालय उज्जैन/निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
10. आवेदन भेजने का पता–मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बागली वार्ड क्र. 03 महात्मा गांधी मार्ग जिला देवास म.प्र. (पिन. 455227)
11. आवेदन का प्रारूप नगर परिषद कार्यालय/वेबसाईट पर उपलब्ध है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, बागली

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बागली

पृ. क्रमांक– /न.पं/2024/766 बागली ,दिनांक–05/08/2024

प्रतिलिपि :– 1– स्थानिय प्रतिनिधि .... की ओर एक दिवस हेतु समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में **12×12** सेन्टीमीटर मे प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशन की 2 प्रति प्रकाशन के उपरांत निकाय में देना सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बागली

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बागली

(परिशिष्ट–3)

कार्यालय नगर परिषद बागली जिला देवास म.प्र.

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका कमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन कमांक 765 दिनांक 05.08.2024 प्रसारित किया गया है।

स. क.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	**8000/–या वर्तमान कलेक्टर दर जो भी अधिक हो।**	–	01	–	–	05 वी कक्षा उत्तीर्ण

उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/ 1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार विज्ञापन प्रसारण दिनांक को निःशक्त अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी– 3– 8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/मूल निवासी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निकाय के कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।

12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. उल्लेखित पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त किये जावेंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हों, जो चयन के लिए आवश्यक हों, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही चयन/कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 8० प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. प्राप्त आवेदनों की जॉच बाद मेरिट के आधार पर वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। उक्त की सूचना आवेदक द्वारा दी गयी ई–मेल आईडी पर प्रेषित की जायेगी।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

दिनांकः–05.08.2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बागली

आवेदन का प्रारूप

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद बागली
जिला देवास।

विषयः– पद सफाई सरंक्षक संविदा वर्ग चतुर्थ श्रेणी के लिये आवेदन ।
संदर्भः– आपका विज्ञापन क्रमांक 765 दिनांक 05.08.2024

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम –
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम –
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम–
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष...............माह..........दिन......
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनांक को आयु वर्ष...................माह.................दिन........
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)–
7. आवेदक/आवेदिका की जाति–
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत–
9. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण–पत्र अनुसार विवाह की दिनांक–
10. जीवित संतानों का विवरण–
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम–
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं

क	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							

13. पद हेतु अनुभव का विवरण –
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण–
15. वर्तमान पता (पिन कोड सहित) –
16. स्थाई पता (पिन कोड सहित) –
17. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित) –
18. ईमेल आई.डी (आवश्यक)–
19. मोबाईल नम्बर (आवश्यक) 1.................... 2....................

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा पत्र

"मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।"

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नकः–

1. म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र।
2. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत)
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची)
6. विवाह प्रमाण पत्र

दैनिक भास्कर

देवास 06-08-2024

कार्यालय नगर परिषद बागली जिला देवास म.प्र.

क्रमांक -765 स्था/दिव्या. भ./ 2024

॥ विज्ञापन ॥

बागली, दिनांक : 05-08-2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन दिनांक- 21.08.2024 को सायं 5.00 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिशः नगर परिषद बागली जिला देवास कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्र	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ट रोग डिसेबिलिटी जिसमें मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौध्दिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000/-या वर्तमान कलेक्टर दर जो भी अधिक हो।	0	01	0	0	05 वी कक्षा उत्तीर्ण

मुख्य शर्तें 1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।

3. आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।

5. प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यार्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू / साक्षरता के लिये आमंत्रित किया जावेगा। उक्त की सूचना आवेदक की मेल आईडी पर दी जावेगी।

6. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। 7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये।

8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की वेबसाइट, (npbagli.in) कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय / संभागीय कार्यालय उज्जैन / निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

10. आवेदन भेजने का पता- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बागली वार्ड क्र. 03 महात्मा गांधी मार्ग जिला देवास म.प्र. (पिन 455227)

11 आवेदन का प्रारूप नगर परिषद कार्यालय / वेबसाईट पर उपलब्ध है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बागली, देवास